न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2/206/2025 दायर दिनांकः– 21/08/2025

जीसीएमएस नं0:– 2025/395 निर्णय दिनांकः– 17/10/2025

वउनवान

1. बच्चू सिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी समूँची तहसील कठूमर जिला अलवर।

सायल

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र मोतीलाल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
2. जगन पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
3. प्रहलाद पुत्र मदन जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
4. रघुनाथ पुत्र मदन जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
5. रामसिंह पुत्र मोतीलाल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
6. सुगन पुत्र कालीचरण जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
7. मुनीम पुत्र भोवल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
8. रवि पुत्र फूल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
9. किरण पत्नी फूल जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
10. बनवारी पुत्र रेवती जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
11. करन पुत्र रेवती जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
12. वनय पुत्र रेवती जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
13. गोपाल पुत्र शिवली जाति जाटव निवासी समूँची तहसील कठूमर
14. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–श्री महेन्द्रसिंह राजपूत – अधिवक्ता सायल

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

—::निर्णय::—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1444 रकवा 0.14 हे0 ग्राम समूॅची तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायल एंव गैरसायलान की हिस्सा मुताविक शामलात खातेदारी में दर्ज है सायल का विवादित आराजी में मुताविक हिस्सा कब्जा है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायल ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायलान ने सायल को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल सं0 14 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे। दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान बाबजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 17.10.2025 को एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम समूॅची की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

सायल को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है —

1. **प्रथम दृष्टा केस**

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

2. सुविधा का सन्तुलन

3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायल के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायल को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। गैरसायलान जान वूझ कर तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं आये है इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है। हमने पत्रावली के तथ्यों सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी सायल व गैरसायलान की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायल विवादित आराजी की हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण गैरसायलान को सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से कोई जवाव दावा व एतराज भी पेश नहीं किये है यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर सकते है। जिससे सायल को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायल के पक्ष में सावित होता है।

सुविधा का सन्तुलनः–सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकते है तथा रहन वय कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सकते है जिस कारण सायल को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायलान ने सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल को होना संभव है। इसस वाद वहुलता भी बढगी अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायल के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—::आदेश::—

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में सावित हैं। अतः प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 1444 रकवा 0.14 हे0 वाके ग्राम समूँची तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, अलवर